स्पीड पोस्ट

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-79/2015/1207/सोलह-2-2015-12(ई)/2014
लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2015

नियुक्ति/विज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राहुल सिंह पुत्र श्री शौराज सिंह ग्राम-राफन, पोस्ट-मवाना, जिला-मेरठ, उ0प्र0 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के पद पर वेतनमान रू0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-5400/- में राजकीय पालीटेक्निक प्रेमधर पट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- उक्त अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु उक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5- उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अभ्यर्थी 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-79/2015/1207/सोलह-2-2015, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
3- कोषाधिकारी, प्रतापगढ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक प्रेमधर पट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना और निर्धारित समय के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की सूचना शासन व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

6- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-287(।)/25/डी.आर./एस-12/2011-12, दिनांक 15.03.2014 के संदर्भ में।

7- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पूर्वीक्षेत्र, वाराणसी।

8- श्री राहुल सिंह पुत्र श्री शौराज सिंह ग्राम-राफन, पोस्ट-मवाना, जिला-मेरठ, उ0प्र0-250401

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।